2006:CGHC:5788

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)**

**रिट याचिका क्र. 434 का 2002**

याचिकाकर्ता : रामखिलावन साहू उम्र 32 वर्ष
पिता कचारू राम साहू
निवासी ग्राम राजपुर तहसील
धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

**विरूद्ध**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य उप निदेशक जिला पंचायत एवं समाज सेवा जिला दुर्ग (छ.ग.)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम राजपुर, तहसील–धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद पंचायत तहसील–धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)।
4. ग्राम पंचायत राजपुर ग्राम राजपुर तहसील–धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)।

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आनंद कुमार तिवारी।

उत्तरवादी क्रमांक 1 के पैनल अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव।

उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 4 के अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया।

उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता श्री पराग कोटेंचा।

हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता श्री के.आर. नायर।

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

**मौखिक आदेश**

**(17 जनवरी 2006)**

1. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है, कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.11.1995 के आदेश (अनुलग्नक–अ/1) के माध्यम से पंचायत कर्मी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, इस स्पष्ट शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता की सेवा को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. उत्तरवादी क्रमांक 4/ग्राम सभा, राजपुर द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त की जाए, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ग्राम सभा के दिनांक 14.04.2000 के प्रस्ताव (अनुलग्नक–अ/2) के अनुपालन में, ग्राम सभा/उत्तरवादी क्रमांक 4 के सरपंच ने दिनांक 28.04.2000 को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी।

3. याचिकाकर्ता, उक्त आदेश से व्यथित होकर, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उप–मंडल अधिकारी ने सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की सेवा ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर समाप्त की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया, जबकि उक्त नियम यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर नियम 5 के अधीन कोई भी बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही केवल विधिवत विभागीय जांच के बाद ही की जा सकती है।

4. याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से दिनांक 28.04.2000 का समाप्ति आदेश (अनुलग्नक–अ/3) एवं दिनांक 23.04.2001 का अपीलीय आदेश (अनुलग्नक–अ/4) को चुनौती दी है।

5. इस याचिका में एक श्री घनश्याम साहू ने हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि श्री घनश्याम साहू को उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दिनांक 16.08.2000 को पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया था और वे तब से उस पद पर कार्यरत हैं।

6. याचिकाकर्ता, उक्त आदेश से व्यथित होकर, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उप–मंडलअधिकारी, दुर्ग के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। उप–मंडलअधिकारी ने सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की सेवा ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर समाप्त की गई थी। उप–मंडलअधिकारी ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया, जबकि उक्त नियम यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर नियम 5 के अधीन कोई भी बड़ी दण्डात्मक कार्यवाही केवल विधिवत विभागीय जांच के बाद ही की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है तथा याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना दंडित किया गया, और उन्हें अपना पक्ष रख कर सुनवाई का अवसर भी नहीं प्रदान किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलीय प्राधिकारी ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधान पर विचार नहीं किया और इसलिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23.04.2001 का आदेश कानून के प्रावधान के विपरीत और प्रतिकूल है।

8. उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया, ने तर्क किया कि ग्राम सभा के दिनांक 14.04.2000 के प्रस्ताव में याचिकाकर्ता की सेवा को निलंबित करने का उल्लेख है, विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समाप्ति आदेश का आधार तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध एवं अमान्य नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधानों का पालन आवश्यक नहीं है क्योंकि ग्राम सभा ने जांच की थी और पाया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के

गंभीर आरोप हैं। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव सर्वोच्च है और इसे वैधानिक प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के गैर–अनुपालन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा के प्रस्ताव का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के पास याचिकाकर्ता के इस तर्क का कोई जवाब नहीं है कि ग्राम सभा ने याचिकाकर्ता की सेवा निलंबित करने का निर्णय लिया था, लेकिन ग्राम पंचायत/उत्तरवादी 2 ने ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव में की गई सिफारिश पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी। विद्वानअधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, तो इससे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की शक्ति का अपवर्जन हो जाएगा।

9. उत्तरवादी क्रंमाक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता **श्री पराग कोटेचा**, तथा छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, **श्री पंकज श्रीवास्तव**, इसके विपरीत तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में **प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों के उल्लंघन का कोई दावा नहीं किया; अतः वर्तमान समय में वह ऐसा दावा करने से वंचित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं, इसलिए न्यायालय को **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227** के अंतर्गत इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.आर. नायर, ने तर्क दिया कि हस्तक्षेपकर्ता घनश्याम साहू की सेवा को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि नियुक्ति के समय हस्तक्षेपकर्ता को यह सूचित नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित निष्कासन आदेश के खिलाफ कोई मामला लंबित है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादीयों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि यदि याचिकाकर्ता इस मामले में सफल होता है तो हस्तक्षेपकर्ता की सेवा को न हटाया जाए क्योंकि हस्तक्षेपकर्ता की नियुक्ति विधि के अनुसार थी और नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन नहीं थी।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों एवं उत्तरवादीयों द्वारा उत्तर प्रतिवेदन तथा हस्तक्षेपकर्ता के आवेदन का अवलोकन किया है।

12. उत्तरवादीयों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को यह तर्क देने से रोका जाए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हैए क्योंकि

याचिकाकर्ता ने नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष इसका तर्क नहीं दिया है, चलने योग्य नहीं है। यह तर्क केवल अस्वीकृति के लिए नोटिस योग्य है।

13. याचिकाकर्ता की सेवा ग्राम सभा द्वारा दिनांक 14.04.2000 के संकल्प में की गई अनुशंसा के विपरीत दिनांक 28.4.2000 के आक्षेपित आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

> "(7) दीर्घ शास्ति लगाने की प्रक्रिया 1)किसी पंचायत सेवा सदस्य पर नियम 5 के खंड (iv) से (vii) तक में वर्णित कोई भी दीर्घ शास्ति आरोपित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके विरुद्ध विधिवत विभागीय जांच उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> (2) जब औपचारिक जांच के आदेश दिए जाते हैं तब अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोपों के आधार पर निष्चित आरोपपत्र तैयार करेगा तथा आरोपों के विवरण सहित उसे पंचायत सेवा के सदस्य को प्रेषित करेगा और उसे निर्दिष्ट समयावधि में लिखित बचाव.पत्र जमा करने एवं यह स्पष्ट करने का अवसर देगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहता है।

(3) xxx xxx xxx
(4) xxx xxx xxx
(5) xxx xxx xxx
(6) xxx xxx xxx
(7) xxx xxx xxx
(8) xxx xxx xxx
(9) xxx xxx xxx
(10) xxx xxx xxx
(11) xxx xxx xxx

उपरोक्त आधार पर, याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और उत्तरवादी पर निवारक व्यय के रूप में संवैधानिक–प्रतीकात्मक दण्ड भी लगाया जाना उचित है।

14. बकाया वेतन के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से सेवा से हटाया गया था, और याचिकाकर्ता कहीं अन्यत्र नियोजित नहीं था, अतः उसे पूर्ण वेतन वापसी मिलनी चाहिए। उत्तरवादी पक्ष का तर्क है कि आरोप गंभीर थे किंतु सिद्ध नहीं हो सके।

15. मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्ता को पुनःस्थापन तक 50% बकाया वेतन प्रदान किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन दो माह की अवधि के भीतर करें। यदि आवश्यक हो तो विधि–अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

16. उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकृत की जाती है एवं 2000/– रूपये का वाद व्यय देने का आदेश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ता श्री घनश्याम साहू की सेवा, यदि पंचायत कर्मी के पद पर कोई रिक्ति न हो, तो समरूप शर्तों पर किसी अन्य स्थान पर समायोजित की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/–**
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Harshita Jaiswal [Adv]